



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226141
CG-DL-E-26032021-226141

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1246]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943

No. 1246]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का.आ. 1350(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, ऑफिसर्स कॉलोनी, भटीपुरा, महोबा (NH76) के कि.मी. 167.6 से कि.मी. 169.3 उत्तर प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH76 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महोबा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH76 के कि.मी. 167.6 से 169.3 तक	उत्तर प्रदेश	महोबा	महोबा	1 किडारी

[फा. सं. CE-RO/LKO/10/NH-76(KM.231)2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2021

S.O. 1350(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 167.6 to Km. 169.3 of OFFICERS COLONY, BHATIPURA, MAHOB (NH76) in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH76 in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Magistrate(Finance and Revenue) Mahoba	167.6KM To 169.3KM	UTTAR PRADESH	MAHOB	Mahoba	1 Kidari

[F. No. CE-RO/LKO/10/NH-76(KM.231)2020-21]

RAJESH GUPTA, Director